न्यायालय कलेक्टर (भू-अभिलेख)

राजस्व प्रकरण कमाक 36 31/59
वर्ष 2012–13

मध्य प्रदेश शासन
बनाम
सर्व साधारण
–: आदेश :–
(दिनांक 2/4/2013 को पारित किया गया)

तहसीलदार चिचोली द्वारा अनुविभागीय अधिकारी बैतूल के माध्यम से तहसील चिचोली पटवारी हल्का नं0 33 के ग्राम जोगली के टोला मिर्जापुर को पृथक राजस्व ग्राम घोषित करने के प्रस्ताव प्रेषित किये जाने पर प्रकरण आरंभ किया गया। तहसीलदार द्वारा प्रेषित प्रस्ताव में दर्शाया गया कि–

1– ग्राम जोगली के टोला मिर्जापुर की दूरी 03 कि0मी0 है ।

2– मिर्जापुर की आबादी 479 है।

3– प्रस्तावित ग्राम मिर्जापुर में प्रस्ताव अनुसार राजस्व ग्राम बनाये जाने पर ग्राम के खाते का क्षेत्रफल 236.995 हैक्टर तथा गैर खाते का क्षेत्रफल 70.404 हैक्टर होगा।

मजरे टोलों को पृथक राजस्व ग्राम बनाये जाने के संबंध में आयुक्त भू–अभिलेख एवं बन्दोबस्त म0प्र0 ग्वालियर के पत्र कमांक 1195/11 भू.प्र.0/मा.चि.शा./म.टो./2012 दिनांक 14.06.2012 द्वारा निम्नलिखित निर्देश जारी किये गये है।

अ– मूल राजस्व ग्राम से मंजरे टोलों की दूरी लगभग 02 कि.मी. या अधिक होनी चाहिये ।

ब– पृथक बनाये जा रहे राजस्व ग्राम का क्षेत्रफल 200 एकड़ से कम न हो तथा पृथक हुए उक्त ग्राम की आबादी 200 या अधिक होनी चाहिये ।

स– पृथक बनाये जा रहे राजस्व ग्राम की चतुर सीमायें मूल ग्राम से एवं अन्य सीमावर्ती ग्रामो से मिलनी चाहिये । मजरे टोलों से पृथक बनाये जा रहे राजस्व ग्राम की सीमाऐ मूल ग्राम की सीमाओं के अन्दर ही स्थित न रहें ।

तहसीलदार चिचोली द्वारा प्रेषित प्रस्ताव आयुक्त भू–अभिलेख एवं बदोबस्त म0प्र0 ग्वालियर द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुरूप पाये जाने पर प्रस्ताव का परीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बैतूल द्वारा किया जाकर ग्राम जोगली के टोला मिर्जापुर को पृथक राजस्व ग्राम घोषित करने की अनुशंसा की गई।

प्रकरण में विज्ञप्ति जारी कर उसका प्रकाशन अनुविभागीय अधिकारी बैतूल के कार्यालय के नोटिस बोर्ड तहसीलदार चिचोली के कार्यालय के नोटिस बोर्ड ग्राम पंचायत जोगली के नोटिस बोर्ड तथा मिर्जापुर की आबादी में सार्वजनिक स्थल पर चस्पा कराया जाकर आपात्तियां आमंत्रित की गई निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई ।

उपरोक्त आधार पर ग्राम चुरनी तहसील चिचोली को म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 73 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियां का उपयोग करते हुए आदेश दिनांक से पृथक राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है।

H. Kumar

2/4/2013

नवीन ग्राम मिर्जापुर में मूलग्राम जोगली के खसरा नंबर 578/1 से 643/6 तक का क्षेत्र को नवीन ग्राम में समाहित किया जाता है। ग्राम मिर्जापुर के उत्तर में ग्राम सेन्दुजना दक्षिण मे दनोरा पूर्व में दनोरा एवं पश्चिम दिशा में जोगली तक का क्षेत्र सम्मिलित होगा। नवीन ग्राम मिर्जापुर का अभिलेख म0प्र0भू0–राजस्व संहिता 1959 की धारा 108 के अन्तर्गत पृथक से तैयार किया जावेगा ।

कलेक्टर,
बैतूल